विधान सभा प्रश्न

विभाग का नाम : लोक निर्माण

प्रश्न संख्या तारांकित : 4700

उत्तर की तिथि : 02–03–2022

विषय : पी0एम0जी0एस0वाई फेज– ।।।

प्रश्नकर्ता का नाम : श्री रोहित ठाकुर (जुब्बल–कोटखाई):

सम्बन्धित मन्त्री : मुख्य मन्त्री

प्रश्न	उत्तर
(क) पी0एम0जी0एस0वाई फेज – ।।। योजना कब आरम्भ की जाएगी और इस योजना के अन्तर्गत प्रथम चरण में कौन–कौन से खण्ड लिए जाएंगे; ब्यौरा दें; (ख) इस योजना के तहत प्रदेश में कितनी सड़कों का निर्माण व स्तरोन्नत किया जाना प्रस्तावित है; और (ग) इस योजना के तहत किन–किन मापदंडों के आधार पर सड़कों को सम्मिलित किया जाएगा?	(क), (ख) एवं (ग) :– सूचना सभा पटल पर रख दी गई है।

तारांकित विधान सभा प्रश्न संख्या 4700 जोकि श्री रोहित ठाकुर (जुब्बल–कोटखाई): द्वारा पी0एम0जी0एस0वाई फेज–।।। बारे पूछा गया है, के उत्तर बारे सूचना :–

(क) पी0एम0जी0एस0वाई फेज–।।। में सड़कों के चयन से पूर्व प्रदेश की सभी ग्रामीण सड़कों के नेटवर्क को डिजीटाइज किया जाना है। प्रदेश के सभी 80 विकास खंडों की सड़कों में से 15 विकास खंडों की सड़कों की Digitization का कार्य पूर्ण कर लिया गया है तथा शेष 65 विकास खंडों की Digitization का कार्य प्रगति पर है। इस योजना के तहत प्रथम चरण में 15 खंडों का प्रारूप तैयार करके भारत सरकार को भेजा गया है। इन खंडों का ब्यौरा निम्नलिखित है:–

(1) भटियात (2) पांगी (3) तीसा (4) पंचरूखी (5) सिराज (6) पच्छाद (7) राजगढ़ (8) संगड़ाह (9) कल्पा (10) पूह (11) निरमंड (12) स्पीति (13) छौहारा (14) नग्गर (15) धर्मपुर।

(ख) इस योजना के तहत प्रदेश में 3,125 कि0 मी0 सड़कों का स्तरोन्नत किया जाना प्रस्तावित है।

(ग) इस योजना के तहत भारत सरकार द्वारा तय किए गए मापदंडों के आधार पर ही सड़कों को सम्मिलित किया जाएगा। विस्तृत परियोजना रिपार्टस बनाने हेतु मुख्य मापदंड परिशिष्ट 'क' पर संलग्न है।

पी0एम0जी0एस0वाई फेज–।।। के तहत विस्तृत परियोजना रिपार्टस बनाने हेतु मुख्य मापदंडः–

1. सर्व प्रथम प्रत्येक खंड की सभी सड़कों के अंतर्गत आने वाले स्कूल, कालेज, कृषि मंड़ियां, पशु औषधालय, प्राथमिक चिकित्सा केन्द्र, बैंक, बस स्टैंड आदि की Geographic Information System (GIS) मेंपिग की जाती है।

2. इसके अतिरिक्त जिला ग्रामीण सड़क योजना (DRRP) बनाई जाती है।

3. उपरोक्त दोनों कार्यों की Geographic Information System (GIS) के साथ मैपिंग की जाती है।

4. यह सारी सूचना राष्ट्रीय ग्रामीण अवसंरचना विकास ऐजेंसी (NRIDA), भारत सरकार को गुणवता जांच के लिए भेजी जाती है।

5. सम्बंधित खंड़ की गुणवता जाँच की स्वीकृति मिलने पर जिला ग्रामीण संपर्क सूची को अंतिम रूप दिया जाता है।

6. इसके उपरान्त राज्य द्वारा खंडों का ट्रेस मैप बनाया जाता है।

7. सम्बंधित मंडल द्वारा Through Route link (TRL) तथा MRL (Major Rural Link) की ऑनलाइन प्रविष्टियां करके अंतिम रूप दिया जाता है।

8. पात्र सड़कों को कंम्पयूटर द्वारा अंक दिये जाते हैं, उदाहरण के तौर पर उच्च विद्यालय के लिए 10 अंक , कालेज के लिए 15 अंक, बस स्टैंड के लिए 4 व पंचायत के लिए 4 तथा प्राथमिक स्वास्थय केंद्र को 10 अंक दिये जाते हैं।

9. सम्बंधित खंड की सभी सड़कों की प्रत्येक 500 मी0 पर फोटो लेकर उसको सिस्टम पर डाला जाता है।

10. प्राथमिकता सूची ऑनलाइन जियो (Geo) सड़क साफ्टवेयर द्वारा स्वयं बनाई जाती है।

11. प्राथमिक सूची में आई सड़कों में 5 कि0 मी0 लंबाई से कम तथा 10 वर्ष की जीवन अवधि सें कम की सड़क को नहीं लिया जाता है।

12. इस कार्यक्रम में 5.500 मी0 की चौडाई वाली सड़क बनाने का प्रावधान है यदि उसके लिए अपेक्षित भूमि उपलब्ध हो।

13. इस कार्यक्रम में कच्ची सड़कों को पक्का करने का प्रावधान नहीं है।